


15/1/18 मद्रास की आज राजस्व लोक
अदालत कायदा कलामपुरा पेशा हुई
पुकारण का अवलोकन किया गया
अधीने एक शर्तना पत्र बाबत
अस्थाई निवेदाशा का पेश किया
कि वाद गस्त आराजी साजा गोलगा
के ख० न० 1013, 1014, 1012 रकबा (अ०)
0.53 है, 0.65 है एष 0.69 है ख० न०
1015 रकबा 0.59 है, 1016 रकबा 1.20 है
1017 रकबा 0.47 है, 1018 रकबा 0.39 है
1019 रकबा 0.89 है ख० न० 1020 रकबा
0.40 है ख० न० 1021 रकबा 0.069 है
ख० न० 1022 रकबा 0.40 है कुल रकबा
6.27 है स्वदेवा के हिस्से 1/4
आराजी के 1/3 भाग में प्राथीजिण
के कलजा काश्त में अप्राथीजिण
दखल नही करने का पेश किया गया
इसमें पुकारण का अवलोकन किया
मामले के सम्बन्ध में एक वाद
स्वातेशरी हुक का विचारार्थी न है
जो साक्ष्यो दस्तावेजी प्रमाण के
न्यायालय राजा समझा प्रस्तुत
होने पर तनकीयात काथमी पक्ष्यात
विधि सम्मन निर्णय पारित हो
सकेगा ऐसी तस्थिति में प्रथम
हुकूमतया मामला प्राथी के पक्ष में
नही पाया जाता है अतः
की

पार्थी का प्रावेना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया
जाता है। निर्णय आज दिनांक
15.6.18 को कोर्ट कम्प कलापुर
सुनाया गया।


15.6.2018

(अनिल कुमार पूनियाँ)

R.A.S.

शिविर प्रभारी